प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

<u>आपराधिक अपील संख्या 1081 सन् 2019</u>

(एसएलपी (क्रि.) सं. 156 सन् 2019 से उद्भूत)

संजीव कुमार गुप्ता .....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य .....प्रत्यर्थीगण

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायमूर्ति, डा. धनंजय वाई चन्द्रचूड़</u>

1) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 14 नवंबर, 2018 के अपने एकल न्यायाधीश के एक फैसले में किशोरता के दावे की अनुमति दी। शिकायतकर्ता द्वारा इस अपील[आपराधिक पुर्नरीक्षण 2952 सन् 2017]में निर्णय को चुनौती दी गई है।

2) 28 अक्टूबर 2015 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के पीएस एक्का में अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसे 2016 के दंड संहिता की धारा 364 ए के तहत केस क्राइम 252 के रूप में दर्ज किया गया था। आरोप है कि अपीलकर्ता को एक अज्ञात नंबर से अपने सेल फोन पर कॉल आया और कॉलर ने अपने बेटे से बात करने की इच्छा जताई, जो अपने शिक्षक होने का दावा करता है। अपीलार्थी का बेटा, जो लगभग तेरह वर्ष का था, शिकोहाबाद के एक पब्लिक स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ रहा था।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उस नम्बर पर दुबारा कॉल आने पर अपीलकर्ता के बेटे ने बातचीत के बाद अपनी दुकान छोड़ दी और कभी नहीं लौटा। आरोप है कि फिरौती की मांग के बाद पीड़िता की हत्या कर दी गई थी। उसका शव कथित तौर पर एक नहर में पाया गया था। दूसरी प्रतिवादी को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

3) 9 दिसंबर, 2015 को, अभियुक्त ने किशोर न्याय (बच्चो की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम 2000[2000 का अधिनियम] के अधीन घटना की तारीख को किशोर होने का दावा करते हुए एक आवेदन फाइल किया था उन्होंने कहा कि कथित अपराध की तारीख में वह सोलह साल दस महीने और ग्यारह दिन का था। दावे के समर्थन में, उन्होंने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,[सीबीएसई] दिल्ली द्वारा जारी एक मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र पर भरोसा किया, जिसमें उनकी जन्म तिथि 17 दिसंबर 1998 थी।

4) किशोर न्याय बोर्ड[जेजेबी] ने 2 जुलाई, 2016 के एक आदेश द्वारा दूसरी प्रतिवादी-अभियुक्त के आवेदन की अनुमति दी और उसे कथित अपराध की तारीख को किशोर घोषित कर दिया। अपीलार्थी ने सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद[आपराधिक अपील 41 सन् 2019] के न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक अपील की। 16 सितंबर 2016 को, सत्र न्यायाधीश ने चिकित्सा परीक्षण पर दूसरी प्रतिवादी की आयु के निर्धारण के लिए मामले को जेजेबी को भेज दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया, जिसने 19 नवंबर 2016 की अपनी रिपोर्ट में पाया कि दूसरी प्रतिवादी की आयु लगभग उन्नीस वर्ष थी। 2000 के 2 अधिनियम 3 सीबीएसई 4 जेजेबी 5 आपराधिक

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अपील 41 के 2016 सत्र न्यायाधीश के आदेश से दुखी, दूसरी प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण[पुनर्विचार याचिका 3246 सन् 2016] दायर किया जिसे 4 जनवरी 2017 को वापस लिये जाने के कारण इसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973[सीआरपीसी] की धारा 482 के तहत एक याचिका[याचिका सं. 12801 सन् 2017] दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल 2017 को दूसरी प्रतिवादी के लंबित आवेदन के शीघ्र निपटान का निर्देश दिया था। 1 जुलाई 2017 को, जेजेबी ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर किशोरता के दावे को खारिज कर दिया। जेजेबी ने यह भी देखा कि दूसरी प्रतिवादी ने ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया था जिसमें उन्होंने अपनी जन्म तिथि 17 दिसंबर 1995 घोषित की थी। इस आधार पर, जेजेबी ने माना कि दूसरी प्रतिवादी घटना की तारीख में एक वयस्क था। दूसरी प्रतिवादी ने सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद[आपराधिक अपील 27 सन् 2017] के समक्ष जेजेबी के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। सत्र न्यायाधीश ने 2 अगस्त 2017 के एक आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया, जो कि **प्राग भाटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[(2016) 12 SCC 744]** में इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर है कि दस्तावेजों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है और यह कि परस्पर विरोधी स्कूल प्रमाणपत्रों से जुड़े मामले में, एक और जांच की आवश्यकता होगी। सत्र न्यायाधीश ने **रामदेव चौहान उर्फ राज नाथ बनाम असम[(2001) 5 SCC 741]** के राज्य में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा रखा।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

5) सत्र न्यायाधीश के विनिश्चय से व्यथित, दूसरे प्रत्यर्थी आपराधिक पुनरीक्षण हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय गया। उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण की अनुमति दी और घोषणा की कि कथित अपराध की तारीख पर दूसरी प्रतिवादी नाबालिग था। इस निष्कर्ष पर आने के बाद, उच्च न्यायालय ने 2000 के अधिनियम के 7ए और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम 2007[2007 का नियम] के नियम 12 में निहित प्रावधानों का विज्ञापन किया, जैसा कि इस न्यायालय ने **अश्वनी कुमार सक्सेना बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[13] के मामले में व्याख्या की थी। उच्च न्यायालय ने माना कि सीबीएसई द्वारा जारी किए गए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को जन्म तिथि के किसी भी अन्य साक्ष्य पर प्रमुखता दी जाएगी, जो नियम 12 (3) (ए) में निहित प्रावधानों के कारण होगा। यह माना जाता है कि सीबीएसई द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र की वैधता विवादित नहीं थी, लेकिन विवाद का कारण जन्म की तारीख थी जो प्रमाण पत्र में दर्ज की गई थी। न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मतदाता आईडी और आठवें मानक अंक पत्र एकत्र किए थे, जिसमें संकेत दिया गया था कि दूसरी प्रतिवादी के जन्म की तारीख 27 दिसंबर 1995 थी। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से पता चला कि जन्म तिथि 17 दिसंबर 1998 थी। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी प्रतिवादी 9 नवंबर 2016 को लगभग उन्नीस वर्ष की थ। अंततः, उच्च न्यायालय के विचार में, जन्म तिथि को प्राथमिकता देनी होगी जो मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में इंगित की गई थी। सत्र न्यायाधीश द्वारा

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अपील में पुष्टि के रूप में जेजेबी के निर्णय को अपास्त किया और किशोरता के दावे की अनुमति दी गई।

6) 14 जनवरी, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 136 तहत इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया गया था। 16 अप्रैल 2019 को इस न्यायालय ने सीबीएसई को नोटिस जारी किया और दूसरी प्रतिवादी से संबंधित सभी आवश्यक रिकॉर्ड बनाने का निर्देश दिया। मैट्रिक को मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जिस आधार पर जन्मतिथि दर्ज की गई थी, उसकी व्याख्या करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया। 6 मई 2019 को इस अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पेश किए जाने के बाद सीबीएसई द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था। पार्टियों को जवाब देने का अवसर दिया गया। पार्टियों द्वारा अपने हलफनामे और जवाब दाखिल करने के बाद, अंतिम निपटारे के लिए कार्यवाही की गई है।

7) अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वत अधिवक्ता सुश्री कामिनी जायसवाल ने कहा कि :

(i) सीबीएसई द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दर्ज जन्म तिथि की प्रामाणिकता के संबंध में एक गंभीर विवाद है। इस कथन को नकारते हुए, विद्वत अधिवक्ता ने तर्क दिया कि:

> (क) साकेत विद्या स्थली, जेदाझल, एक्का फिरोजाबाद के स्कूल रजिस्टर में जन्म की तारीख, जहां दूसरे प्रतिवादी ने किंडरगार्टन से चौथी कक्षा तक का पढ़ाई किया, 17 दिसंबर, 1995 है;

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(ख) दूसरे प्रत्यर्थी के प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड में जन्म तिथि 17 दिसंबर 1995 दर्शायी गयी है;

(ग) दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा स्वेच्छा से जन्म की तारीख 17 दिसंबर 1995 बताए जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और साथ ही आधार कार्ड प्राप्त किया गया है;

(घ) जांच के दौरान माता अंजनी पब्लिक स्कूल, शिकोहाबाद के हेडमास्टर ने 22 जनवरी, 2016 को जेजेबी के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया कि माता-पिता द्वारा दी गई सूचना पर 17 दिसंबर, 1998 जन्म की तारीख अभिलिखित की गई थी और यद्यपि प्रवेश के समय सामान्यतः शपथपत्र लिया जाता है, यह दूसरी प्रत्यर्थी के प्रवेश के समय नहीं किया गया था इसके अलावा, प्रवेश के समय दूसरे प्रत्यर्थी के पिता द्वारा जन्म की तारीख के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया था; और

(ड़) सीबीएसई द्वारा इन कार्यवाहियों में जो शपथपत्र फाइल किया गया था, वह यह उपदर्शित करता है कि उसके अभिलेख में जन्म की तारीख,सीबीएसई द्वारा किसी और जांच के बिना, वही ली गई है, जो अपने विद्यार्थियों को मैट्रिकुलेशन परीक्षा के लिए भेजने के लिए संबद्ध स्कूल द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र के आधार पर, दी गई थी ;

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(ii) वर्तमान मामले में, उस अभिलेख सामग्री , उस अभिलेख सहित जो अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिप्राप्त किया गया था, स्पष्ट रूप से दर्शित करता है कि दूसरे प्रत्यर्थी के जन्म की तारीख 17 दिसंबर, 1995 है;

(iii) इस न्यायालय की दो न्यायाधीश न्यायपीठ के **अश्विनी कुमार सक्सेना** (पूर्वोक्त) के विनिश्चय को **आबूज़ार हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[**(2012) 10** एससीसी **489**] वाले मामले में तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के पश्चात्वर्ती विनिश्चय और **प्राग भाटी** (पूर्वोक्त) वाले दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ के निर्णय के दृष्टिगत, पृथक् रूप से विचार नहीं किया जा सकता। तीन निर्णयों में से अंतिम ने पहले के दोनों निर्णयों माना हैं;

(iv) जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन) अधिनियम 2015[2015 का अधिनियम] वर्ष 2015 के अधिनियम निरसित कर दिया गया । वर्ष 2015 का अधिनियम 31 दिसंबर 2015 को लागू किया गया। 2015 के अधिनियम की धारा 94 में व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र को प्राथमिकता नहीं दी गई है। चूंकि धारा 94 प्रक्रिया से संबंधित है। इसलिए, हालांकि यह घटना 18 अगस्त 2015 को हुई थी, दावे का निर्धारण 2015 के अधिनियम में निहित प्रावधानों के संदर्भ में किया जाएगा। रिकॉर्ड पर असंगत सामग्री के संबंध में, दूसरे प्रत्यर्थी के जन्म की तारीख 17 दिसंबर 1995 है।

8) दूसरी ओर, दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ताश्री रवींद्र सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया कि -

(i) विस्तृत जांच के पश्चात् जे. जे. बी. इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दूसरे प्रत्यर्थी के जन्म की तारीख 17 दिसंबर, 1998 है;

(ii) आधार कार्ड में या आरटीओ द्वारा जारी किए गए चालन अनुज्ञप्ति की तारीख अनुचित लाभ चाहने के लिए अभियुक्त द्वारा गलत रूप से

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दी जा सकेगी इसके लिए, उसे कानून के तहत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, लेकिन यह कि स्वयं किशोरता के दावे को नकारता नहीं है, जहां, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दर्ज जन्म तिथि में इसे प्रमाणित किया गया है।

(iii) मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में अभिलिखित तारीख नियम 12 (3) के आधार पर अभिभावी होनी चाहिए; और

(iv) साक्षी डा. उदयवीर सिंह यादव, जो साकेत विद्या स्थली के भूतपूर्व प्रधानाध्यापक/प्रबंधक थे, की प्रतिपरीक्षा में, कई असंगतताएं हैं जिन पर विद्यालय द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र को कोई महत्व नहीं माना जा सकता है इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

9) प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ विचारार्थ आती हैं

10) 2015 के अधिनियम की धारा 7 क उस प्रक्रिया का उपबंध करती है जिसका किशोरता के दावे का निर्धारण करने हेतु पालन किया जाना है । धारा 7 क यह उपबंध करती -

> "S. 7A किसी भी अदालत के समक्ष जब किशोर का दावा उठाया जाता है, तो उसके बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया - (1) जब भी किसी अदालत के समक्ष किशोरता का दावा उठाया जाता है या किसी अदालत की राय है कि एक आरोपी व्यक्ति अपराध करने की तारीख पर किशोर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

था, उसकी निकटतम उम्र बताते हुए अदालत जांच करेगी, ऐसे सबूत ले सकती है जो आवश्यक हो सकते हैं (लेकिन एक हलफनामा नहीं) ताकि ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित की जा सके, और यह पता लगाया जा सके कि व्यक्ति किशोर है या बच्चा है या नहीं,

बशर्ते कि किसी भी अदालत के समक्ष किशोरता का दावा उठाया जा सकता है और मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी इसे किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है, और इस तरह के दावे को इस अधिनियम में निहित प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा, भले ही किशोरता इस अधिनियम के शुरू होने की तारीख पर या उससे पहले समाप्त हो गई हो।

(2) यदि न्यायालय उपधारा (1) के अधीन अपराध किए जाने की तारीख को किसी व्यक्ति को किशोर पाता है तो वह समुचित आदेश पारित करने के लिए किशोर को बोर्ड भेजेगा और न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश, यदि कोई हो, का कोई प्रभाव नहीं समझा जाएगा।

यह दावा किए जाने पर कि एक अभियुक्त अपराध की तारीख पर किशोर था, न्यायालय को जांच करने, सबूत लेने और व्यक्ति की आयु निर्धारित करना न्यायालय से अपेक्षित होगा। अदालत को निकटतम उम्र बताते हुए यह पता लगाना होगा कि क्या व्यक्ति किशोर है या बच्चा है। 2007 के नियम के अन्तर्गत नियम 12 (3) में न्यायालय या बोर्ड द्वारा आयु के निर्धारण को शासित करने वाला एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है। नियम 12 (3) इस प्रकार निर्धारित करता है:

"12. आयु के निर्धारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ....

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(3) विधि के विरुद्ध किसी बालक या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, यथास्थिति, न्यायालय या बोर्ड द्वारा या समिति द्वारा आयु निर्धारण जांच की जाएगी, -

(क) (i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो; और जिसकी अनुपस्थिति में ;

(ii) उस विद्यालय से (प्ले ग्रुप से भिन्न) जन्म तिथि प्रमाणपत्र जिसमें वह सबसे गया और इसके अभाव में;

(iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र;

(ख) और केवल उपर्युक्त खंड (क) के (i), (ii) या (iii) की अनुपस्थिति में, विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय राय मांगी जाएगी, जो किशोर या बच्चे की आयु की घोषणा करेगी। यदि उम्र का सही आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, कम हद की तरफ एक वर्ष के मार्जिन के भीतर, यदि आवश्यक हो, तो बच्चे या किशोरता का लाभ दे सकती है।

और, ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, ऐसे साक्ष्य को ध्यान में रखने के बाद, जो उपलब्ध हो सकते हैं, या चिकित्सकीय राय, जैसा भी मामला हो, खंड (क) (i), (ii), (iii) या उसकी अनुपस्थिति में, खंड (ख) में निर्दिष्ट साक्ष्य में से किसी के आधार पर उसकी उम्र दर्ज करें, जो

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

ऐसे व्यक्ति की आयु का निश्चायक सबूत होगा विधि के विरोध में है ”

नियम 12 (3) के खंड (क) में यह उपबंध है कि जांच में साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अभिप्राप्त किए जाने होंगे:

(i) यदि उपलब्ध हो तो मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र;

(ii) (i) की अनुपस्थिति में, सर्वप्रथम उपस्थित स्कूल से जन्म प्रमाणपत्र ; और

(iii) (ii)अनुपस्थिति में; किसी निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र।

नियम 12 (3) के खंड (क) में एक पदानुक्रमित व्यवस्था है, जो भाषा के उपयोग से स्पष्ट है, ' जिसकी अनुपस्थिति में '। यह इंगित करता है कि जहां एक मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र उपलब्ध है, (ii) और (iii) में विज्ञापित दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को वरीयता दी जाती है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अभाव में पहले स्कूल के जन्म प्रमाण पत्र पर भरोसा किया जा सकता है। मैट्रिकुलेशन और पहले स्कूल के जन्म प्रमाण पत्र दोनों की अनुपस्थिति में निगम , नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। नियम 12 (3) का यह पहलू अश्वनी कुमार सक्सेना (सुप्रा) में इस न्यायालय के दो न्यायाधीश पीठ के फैसले में देखा गया था। न्यायमूर्ति केएसपी राधाकृष्णन ने यह कहते हुए कि 2007 के नियमों के तहत किशोरता के दावे के संबंध में जांच करते

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

समय दण्ड प्रक्रिया संहिता में विहित प्रक्रियाओं को आयात नहीं किया जा सकता है, अवलोकन किया कि:

> “32. अधिनियम की धारा 7-क सपठित नियम 12, नियम-2007 में दी गयी 'आयु निर्धारण जांच' अदालत को साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती है और उस प्रक्रिया में, अदालत मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो, प्राप्त कर सकती है। केवल मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र के अभाव में ही, अदालत को पहले स्कूल (प्ले ग्रुप से इतर) से जन्मतिथि प्रमाण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। केवल मैट्रिकुलेशन या समकक्ष स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में या पहले स्कूल से जन्मतिथि प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में , अदालत को निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिए गए जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है (शपथ पत्र नहीं प्रमाण पत्र या दस्तावेज)। विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय प्राप्त करने का प्रश्न केवल तभी उठता है जब उपरोक्त दस्तावेज अनुपलब्ध हों। यदि आयु का सही निर्धारण नहीं किया जा सकता है तो न्यायालय, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, यदि आवश्यक समझे तो, एक वर्ष के भीतर उसकी आयु पर निचली तरफ विचार करके बच्चे या किशोर को लाभ दे सकता है ”

न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिनमें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दर्ज जन्म तिथि या नियम 12 (3) (क) में निर्दिष्ट अन्य प्रमाणपत्रों में दी गयी जन्म तिथि सही न हो । न्यायालय ने कहा कि यह केवल तभी जब दस्तावेज जाली हों या उनमें हेरफेर किया गया हो, जैसा कि दर्शाया गया है, जन्म की तारीख को खारिज किया जा सकता है। न्यायालय ने अवधारित किया:

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"34 ..... ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्रों में की गई प्रविष्टि, पहले स्कूल के जन्म प्रमाण पत्र की तारीख और यहां तक कि निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र भी सही नहीं हो सकता है। लेकिन सामान्य संव्यवहार में, अदालत, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या जेजे एक्ट के तहत काम करने वाली समिति को इस तरह की जांच करने और उन दस्तावेजों की शुद्धता की जांच करने के लिए उन प्रमाणपत्रों के पीछे जाने की अपेक्षा नहीं है। केवल उन मामलों में जहां उन दस्तावेजों या प्रमाणपत्रों के जाली होने या हेरफेर किया गया हो, न्यायालय, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या समिति को आयु निर्धारण के लिए चिकित्सा रिपोर्ट के लिए जाने की आवश्यकता होती है।"

न्यायालय की दृष्टि में, उपरोक्त शर्तों को पूरा करने पर ही चिकित्सा रिपोर्ट मंगायी जा सकती है।

11) **अश्विनी कुमार सक्सेना** (उपरोक्त) का विनिश्चय 13 सितंबर, 2012 को किया गया था इसके तुरंत बाद, इस अदालत की तीन जजों की बेंच ने **अबूज़ार हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन** (उपरोक्त) के मामले में धारा 7 ए और नियम 12 के प्रावधानों पर विचार किया। न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा (तब मुख्य न्यायाधीश के रूप में), अपने और न्यायमूर्ति अनिल आर दवे ने कहा :

"39.3 जैसा कि प्रथम दृष्टया कौन सी सामग्री अदालत को संतुष्ट करेगी और/या प्रारंभिक बोझ के निर्वहन के लिए पर्याप्त है सूचीबद्ध नहीं की जा सकती और न ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि किस साक्ष्य को कितना वजन दिया जाना चाहिए जो किशोरता की उपधारणा के लिए पर्याप्त हो सकता हो लेकिन नियम 12 (3) (क) (i) से (iii) में निर्दिष्ट दस्तावेज, नियम 12 के तहत आगे की जांच के लिए आवश्यक, अपराधी की आयु के बारे में निश्चित रूप से अदालत की प्रथम दृष्टया

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

संतुष्टि के लिए पर्याप्त होंगे। संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया बयान बहुत ही अस्थायी है और किशोरता के दावे को सही ठहराने या अस्वीकार करने के लिए सामान्यतः पर्याप्त नहीं हो सकता है। सजा के बाद दिया गया स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या मतदाता सूची, आदि दस्तावेजों की विश्वसनीयता और/या स्वीकार्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई भी कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उन्हें प्रथम दृष्टया स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए। अकबर शेख (2009) 7 SCC 415: (2009) 3 SCC (Cri) 431 और पवन (2009) 15 SCC 259: (2010) 16 SCC (Cri) 522 में इन दस्तावेजों को प्रथम दृष्टया विश्वसनीय नहीं पाया गया, जबकि जितेंद्र सिंह (2010) 13 SCC 523: (2011) 17 SCC (Cri) 857 दस्तावेजों जैसे- सर्टिफिकेट, मार्कशीट और मेडिकल रिपोर्ट अपीलकर्ता की उम्र की जांच और सत्यापन के लिए तथा जांच निर्देशित करने के लिए पर्याप्त पाये गये। यदि ऐसे दस्तावेज प्रथमदृष्टया न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करते हैं तो न्यायालय ऐसे दस्तावेजों के आधार पर कार्यवाही करने और अपराधी की आयु के अवधारण के लिए जांच का आदेश दे सकता है ।"

अबूज़ार हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन (उपरोक्त) में उपर्युक्त विनिश्चय 10 अक्तूबर, 2012 को दिया गया था। यद्यपि **अश्वनी कुमार सक्सेना** (उपरोक्त) में पहले के फैसले को अदालत के समक्ष उद्धृत नहीं किया गया था, यह उपरोक्त निष्कर्ष से प्रतीत होता है कि तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने देखा कि स्कूल छोड़ने वाले प्रमाण पत्र सहित दस्तावेजों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता तथ्यों पर निर्भर करेगी। और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखकर इस तरह का कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा के फैसले के साथ सहमति व्यक्त करते हुए

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर (तब मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने यह धारित किया कि जांच का निर्देश देना अभियुक्त को किशोर घोषित करने के समान नहीं है। पहले मामले में न्यायालय केवल एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करता है जबकि दूसरे मामले में साक्ष्य के आधार पर एक घोषणा की जाती है। इसलिए जांच को निर्देशित करने के चरण में दृष्टिकोण अधिक उदार होना चाहिए:

> "48. यदि किसी को कठोर दृष्टिकोण अपनाना हो, तो वह कह सकता है कि किसी प्रमाण पत्र से कम कुछ नहीं, चाहे स्कूल से या नगरपालिका प्राधिकरण से, जांच का निर्देश देने से पहले, अदालत के विवेक को संतुष्ट करेगा। लेकिन, फिर जांच का निर्देश देना आरोपी को किशोर घोषित करने के समान नहीं है। आवश्यक प्रमाण का मानक दोनों के लिए अलग है। पहले मामले में न्यायालय केवल एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करता है जबकि दूसरे मामले में साक्ष्य के आधार पर एक घोषणा की जाती है जिसकी वह जांच करती है और इस योग्य होने पर ही स्वीकार करता है। जांच को निर्देशित करने के चरण में दृष्टिकोण अधिक उदार होना चाहिए कहीं ऐसा न हो न्याय की हत्या हो जाए। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि हलफनामों को आम तौर पर जांच के निर्देश के लिए पर्याप्त आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, यह कि वे इस प्रकार स्वीकार नहीं किए जाते हैं, यह कानून का नियम नहीं है, बल्कि विवेक का नियम है। इसलिउपरोक्तए, अदालत प्रत्येक मामले में प्रासंगिक कारकों को तौलती है, बेहतर हलफनामे दाखिल करने पर जोर देती है यदि ऐसी आवश्यकता हो, और यहां तक कि प्रत्येक मामले में यह निर्णय लेने से पहले कि क्या धारा ७क के अन्तर्गत जांच की जानी चाहिए या नहीं, माता-पिता की आयु, भाई-बहनों की आयु के बारे में जानकारी सहित प्रासंगिक कोई भी अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने का निर्देश दे सकती। यह अंततः इस बात पर निर्भर करेगा कि अदालत प्रथम दृष्टया निष्कर्ष के लिए इस तरह की

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सामग्री का मूल्यांकन कैसे करती है कि अदालत जांच का निर्देश दे या नहीं । ”

इन दोनों निर्णयों को चूंकि इस अदालत की दो न्यायाधीश पीठ ने **प्राग भाटी** (उपरोक्त) में माना है, जहां यह धारित किया गया कि :

> “36. कानूनी स्थिति यह है कि यदि मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं और जन्म तिथि की शुद्धता साबित करने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं है, तो मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को आरोपी के जन्म के निर्णायक प्रमाण के रूप में माना जाना चाहिए। लेकिन, यदि कोई संदेह है या अभियुक्त द्वारा विरोधाभासी रुख अपनाया जा रहा है जो जन्म की तारीख की शुद्धता पर संदेह पैदा करता है, तो जैसा कि इस न्यायालय द्वारा जैसा जैसा अबुजार हुसैन (अबुजार हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य) (2012) 10 SCC 489: (2k013) 1 SCC (Cri) 83 , के वाद में धारित किया गया है अभियुक्त की आयु के निर्धारण के लिए एक जांच अनुमेय है जो वर्तमान मामले में की गई है। ''

12) 2015 का अधिनियम 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ। धारा 111 वर्ष 2000 के अधिनियम को निरस्त करता है, लेकिन यह निर्धारित करता है कि निरस्त होने के बावजूद, उक्त अधिनियमों के तहत की गई कुछ या कोई कार्रवाई नए कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई मानी जाएगी। आयु के निर्धारण के संबंध में धारा 94 का प्रावधान, निम्नलिखित शब्दों में है:

> "94. आयु की उपधारणा और निर्धारण-(1) जहां, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत (सबूत देने के उद्देश्य के अलावा) लाए गए व्यक्ति को देखने से समिति या बोर्ड को यह स्पष्ट है उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, समिति या बोर्ड , बच्चे की निकटतम उम्र बताते हुए इस तरह के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अवलोकन को रिकॉर्ड करेगा और, उम्र की पुष्टि के लिए इंतजार किए बिना, धारा 14 या 36 के तहत, जैसा कि मामला हो, पूछताछ कर सकेगा ।

(2) यदि मामले में, समिति या बोर्ड के पास इस बारे में संदेह के लिए पर्याप्त आधार हैं कि उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, निम्न साक्ष्यों को प्राप्त कर आयु निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा -

(i) स्कूल से जन्म प्रमाणपत्र, या यदि उपलब्ध हो तो संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाणपत्र; और उसकी अनुपस्थिति में;

(ii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र;

(iii) और केवल ऊपर (i) और (ii) की अनुपस्थिति में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेशों पर आयोजित आसिफिकेशन टेस्ट या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु निर्धारण टेस्ट द्वारा किया जाएगा:

बशर्ते कि समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित ऐसी आयु निर्धारण टेस्ट ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।

(3) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए समिति या बोर्ड के समक्ष लाए गये व्यक्ति की उसके द्वारा अंकित आयु उस व्यक्ति की वास्तविक आयु समझी जाएगी”

धारा 94 (2) का खण्ड (1) स्कूल के जन्म प्रमाणपत्र, और संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाणपत्र उसी प्रवर्ग (अर्थात् (1) उपरोक्त) में रखता है । इसके अभाव में श्रेणी (ii) निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का उपबंध करता है। केवल (i) और (ii) की अनुपस्थिति में ही

उद्घोषणा

”क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

चिकित्सा विश्लेषण के माध्यम से आयु निर्धारण किया जाता है। धारा 94 (2) (क) (i) 2000 के अधिनियम के तहत बनाए गए 2007 के नियमों में निहित नियम 12(3) (क)(i) के प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है। नियम 12 (3) (क) (i) के तहत मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी गई थी और केवल प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में ही पहले स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त की जा सकती है। धारा ९४ (२) (I) के अन्तर्गत, स्कूल से जन्मतिथि प्रमाण पत्र और मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र दोनों में एक ही श्रेणी में रखे जाते हैं।

13) सुश्री जायसवाल ने कहा है कि धारा 94 प्रक्रिया के विषय से संबंधित है इसलिए, यह तर्क दिया गया कि हालांकि वर्तमान मामले में घटना कथित रूप से 18 अगस्त 2015 की है और किशोरता के लाभ का दावा करने वाला आवेदन 9 दिसंबर 2015 को प्रस्तुत किया गया था, अतः आवेदन धारा 94 के प्रावधान द्वारा शासित होना चाहिए न कि 2007 के नियमों की धारा 12 (3) के। वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए, हम 2007 के नियमों के नियम 12 (3) के प्रावधानों के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़े हैं (जैसा कि दूसरे प्रतिवादी की ओर से तर्क दिया गया था)। हम , जैसा कि इसके बाद विश्लेषण किया जाएगा, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उस आधार पर भी, दूसरा प्रतिवादी घटना की तारीख पर किशोर नहीं थी। दूसरे शब्दों में, चाहे मामला 2007 के नियमों के नियम 12 (3) से देखा जाय या 2015 के अधिनियम की धारा 94(2) से, अंततः निष्कर्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ता ।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

14) अब यह इस पृष्ठभूमि में न्यायालय के लिए यह अवधारण करना आवश्यक हो जाता है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा , अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में, विद्वत सेशन न्यायाधीश के मत को उलटना न्यायोचित था कि दूसरा प्रत्यर्थी घटना की तारीख को किशोर नहीं था। सीबीएसई मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दर्ज जन्मतिथि (17 दिसंबर 1998) के आधार पर, दूसरे प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वत अधिवक्ता ने कहा है कि नियम 12 (3) (ए) के प्रावधानों के तहत उक्त प्रमाण पत्र की किसी अन्य साक्ष्यिक दस्तावेज पर प्रधानता होकी। अपील की सुनवाई के दौरान, हमने सीबीएसई को अपने रिकॉर्ड प्रस्तुत करने और एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जो यह दर्शाता है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जन्म तिथि किस आधार पर दर्ज की गई थी। सीबीएसई द्वारा दायर हलफनामे से संकेत मिलता है कि सीबीएसई द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड में जन्म की तारीख विशुद्ध रूप से मां अंजनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एटा रोड, शिकोहाबाद द्वारा अग्रेषित छात्रों की अंतिम सूची के आधार पर दर्ज की गई थी। सहायक सचिव, सीबीएसई के हलफनामे के अनुसार:

> "... माँ अंजनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एटा रोड, शिकोहाबाद, ने कक्षा IX (2011-12) के लिए पंजीकृत छात्रों की अंतिम सूची (कक्षा X परीक्षा वर्ष 2013 के लिए पात्र) के रूप में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद भेजी। कक्षा IX (2011-12) के लिए पंजीकृत छात्रों की अंतिम सूची (वर्ष 2013 के लिए दसवीं परीक्षा के लिए पात्र) सीरियल नंबर 68 में दिखाया गया है, श्री रामेश्वर सिंह और श्रीमती विशेष देवी के पुत्र पुनीत यादव का नाम और उनकी जन्म तिथि 17. 12. 1998 दिखाया गया है जिसमें पुनीत यादव का हस्ताक्षर और फोटो है। प्रवेश की तिथि 08. 09. 2011 के रूप में दर्शायी गई है।.

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

.....

".... प्रधानाचार्य, मा अंजनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शिकोहाबाद, ने 04. 02. 2013 दिनांकित पत्र द्वारा ने कक्षा X-2013 के लिए 248 उम्मीदवारों की रोल नंबर-वार सूची सहायक सचिव (परीक्षा), CBSE, इलाहाबाद को भेजी। पुनीत यादव का नाम रामेश्वर सिंह और श्रीमती विशेष देवी, रोल नंबर 5156848 , जन्म तिथि 17. 12. 1998 के साथ पृष्ठ सं. 896 पर, पुनीत यादव के हस्ताक्षर के साथ दिखाया गया है।

"..... माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए प्रमाण पत्र (सत्र 2011-13) (जिसकी सही प्रति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त अनुलग्नक CA-1 के रूप में इस माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 16. 04. 2019 के साथ प्राप्त की गई थी) पुनीत यादव की जन्म तिथि को 17. 12. 1998 के रूप में दिखाते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उपरोक्त रिकॉर्ड के आधार पर जारी किया गया था।"

CBSE ने इस न्यायालय के समक्ष कहा है कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दर्ज की गई तारीख माँ अंजनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल , शिकोहाबाद के हेडमास्टर द्वारा अग्रेषित छात्रों की अंतिम सूची के आधार पर थी। माँ अंजनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शिकोहाबाद के हेडमास्टर ने जेजेबी, फिरोजाबाद के समक्ष पूछताछ के दौरान बयान दिया। अपनी परीक्षा के दौरान, हेडमास्टर दीप्ति सोलंकी ने कहा:

'... हम माता-पिता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रवेश के समय छात्र के जन्म की तारीख को नोट करते हैं और साथ ही हम एक हलफनामा प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें इस छात्र से हलफनामा नहीं

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मिला। मैंने इस छात्र से हलफनामा न लेकर गलती की है। जन्म तिथि माता-पिता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दर्ज की गई थी। ”

हेडमास्टर ने आगे कहा:

"... पिता ने छात्र के जन्म की तारीख के संबंध में प्रवेश के समय कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया। उन्हें प्रवेश के समय कक्षा 4 के रिकॉर्ड देने के लिए कहा गया होगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मैं इसका कारण नहीं बता सकती। छात्रों को कक्षा 5 तक किसी भी दस्तावेज के बिना प्रवेश दिया जाता है।''

उपरोक्त बयान से यह दिखता है कि दूसरे प्रतिवादी को पांचवीं कक्षा में माँ अंजनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शिकोहाबाद में प्रवेश दिया गया था और जब तक उसने मैट्रिक पूरा नहीं किया तब तक वह स्कूल का छात्र था. दूसरे प्रतिवादी ने चौथे मानक तक साकेत विद्यास्थली, जेदाझल, फिरोजाबाद में भाग लिया। उस स्कूल के स्कूल रजिस्टर और ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर्म में विशेष रूप से 17 दिसंबर 1995 को दूसरी प्रतिवादी के जन्म की तारीख के संबंध में एक प्रविष्टि है। प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रवींद्र सिंह ने तर्क दिया है कि स्कूल के पूर्व प्रबंधक की जिरह के दौरान जो विसंगतियां सामने आई हैं, वे संकेत देती हैं कि उस प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता के संबंध में संदेह है । हालांकि, हमारे विचार में, दूसरे प्रतिवादी के कथन में जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि जन्म की तारीख जो साकेत विद्या सथाली के प्रमाण पत्र में दर्ज की गई है, उस जन्म की तारीख से पूरी तरह से मेल खाती है, जिसे स्वेच्छा से दूसरे प्रतिवादी द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड बनवाते समय बताया गया था। उन दोनों दस्तावेजों में, जिनमें से मूल को जांच के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दौरान जब्त कर लिया गया था और इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जन्म की तारीख 17 दिसंबर 1995 के रूप में परिलक्षित होती है। ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड अकेले दस्तावेज नहीं हैं। विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता का कथन कि उन दस्तावेजों में जन्म की तारीख अभियुक्तों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की जा सकती है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह साकेत विद्या स्थली स्कूल के स्कूल रिकॉर्ड में दर्शाए गए जन्म तिथि से मिलता है। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि माँ अंजनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शिकोहाबाद के छात्रों के रोल में जन्म की तारीख जन्म तिथि का एकमात्र आधार था जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दर्ज की गई थी। माँ अंजनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रिकॉर्ड में जन्म की तारीख जहां दूसरा प्रतिवादी कक्षा V से कक्षा X तक का छात्र था, बिना किसी अंतर्निहित दस्तावेज के है, जैसा कि प्रिंसिपल द्वारा जेजेबी के समक्ष जांच के दौरान कहा गया है। दूसरी ओर, जन्म तिथि के रूप में एक स्पष्ट और अमिट सबूत है जो साकेत विद्या स्थली स्कूल के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जो आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों प्राप्त करते समय दूसरी प्रतिवादी द्वारा किए गए स्वैच्छिक प्रकटीकरण द्वारा समर्थित है। उच्च न्यायालय ने मैट्रिक प्रमाणपत्र के आधार पर सत्र न्यायाधीश के निष्कर्षों को विशुद्ध रूप से उलट दिया। जिन कारणों के लिए हमने संकेत दिया है, उसमें परिलक्षित जन्म तिथि को प्रामाणिक या विश्वसनीय रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक बार जब हम निष्कर्ष पर आते हैं, जैसा कि हमारे पास है, कि दूसरे प्रतिवादी के जन्म की तारीख 17 दिसंबर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

1995 है, तो वह 18 अगस्त 2015 को हुई कथित घटना की तारीख के रूप में किशोरता के दावे का हकदार नहीं था।

15) उपरोक्त कारणों से, हम अपील की अनुज्ञा देते हैं और 14 नवम्बर, 2018 दिनांकित उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं । आपराधिक पुनरीक्षण २९५२ वर्ष 2017 परिणाम में खारिज कर दिया जाएगा। किशोरता के दावे को नकारने वाला जेजेबी के निर्णय की पुष्टि करता सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, तदनुसार बरकरार रखा जाता है। दूसरे प्रतिवादी से तदनुसार वर्तमान निर्णय में दर्ज की गई खोज के आधार, जो किशोर के दावे को खारिज करता है, कानून के अनुसार बरता जाएगा, ।

न्यायमूर्ति, धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़

.....

न्यायमूर्ति, इंदिरा बनर्जी

.....

नई दिल्ली,

25 जुलाई, 2019

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।